


24.12.2024:- पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे
आवश्यक कार्यवाही नहीं कि जा रही है। वादी व
प्रतिवादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे।
उपस्थित नहीं आ रहे। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता
को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं
आये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं
आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहज्यक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इन्दुमानगढ़

